भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3217
गुरूवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

मध्य प्रदेश में कार्गो विमानपत्तनों का विकास

3217. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश, विशेषकर देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्गो विमानपत्तन या एयर कार्गो टर्मिनल वकिसित करने का विचार है और यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या औद्योगिक, कृषि-प्रसंस्करण और फार्मास्युटिकल क्षेत्र होने के कारण देवास-शाजापुर क्षेत्र को कार्गो हवाई संपर्क के तौर पर उपयोग करने हेतु विचार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार सार्वजनकि-निजी भागीदारी (पीपीपी) या पीएम गति शक्ति योजना की रूपरेखा के तहत देवास-शाजापुर क्षेत्र में कार्गो एयर टर्मिनल स्थापित करने या हवाई पट्टी के उन्नयन की व्यवहार्यता का आकलन करने को तैयार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश, विशेषकर देवास-शाजापुर क्षेत्र जैसे टियर-2 औद्योगिक गलियारों में एयर लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग) वर्तमान में, मध्य प्रदेश राज्य में एयर कार्गो सुविधा वाले चार हवाईअड्डे हैं नामत: इंदौर (समर्पित कार्गो सुविधा), भोपाल (समर्पित कार्गो सुविधा), ग्वालियर (यात्री टर्मिनल के माध्यम से) और जबलपुर (यात्री टर्मिनल के माध्यम से) ।

मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर निर्वाचन क्षेत्र में कार्गो हवाई अड्डा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि भोपाल और इंदौर में मौजूदा कार्गो परिचालन देवास-शाजापुर क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करती हैं।

(घ) सरकार समर्पित कार्गो टर्मिनलों का विस्तार करके और छोटे हवाई अड्डों पर यात्री टर्मिनलों का उपयोग करके टियर-2 औद्योगिक गलियारों में हवाई लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है। उच्च मूल्य और शीघ्र खराब होने वाले सामानों के प्रबंधन के लिए शीत भंडारण और तापमान नियंत्रित प्रणालियां क्रियान्वित की जा रही हैं। हवाईअड्डों/कार्गो

टर्मिनलों की प्रचालन लागत को कम करने के लिए टियर-II/III हवाईअड्डों पर एएआई/ आईक्लास टर्मिनलों के लिए सीमा शुल्क लागत वसूली प्रभार (सीसीआरसी) की प्रतिपूर्ति जैसे उपाय लागू किए गए हैं।

******